न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 37/2014 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती देउ बाई पत्नी स्वर्गीय गेगा जी गायरी, निवासी मजाम, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. देवा पिता स्वर्गीय गेगा जी गायरी, निवासी मजाम, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती बाबु बाई पुत्री स्वर्गीय गेगा जी पत्नी चेना जी गायरी, निवासी मजाम, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मृतक श्री नन्दलाल जी के विधिक प्रतिनिधि :–

1/1. श्रीमती रोशनी बाई विधवा नन्दलाल जी लोढ़ा जैन, निवासी बगडुन्दा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. देवेन्द्र जैन पिता नन्दलाल जी लोढ़ा जैन, निवासी बगडुन्दा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. भगवतीलाल पिता नन्दलाल जी लोढ़ा जैन, निवासी बगडुन्दा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती संतोषी पुत्री नन्दलाल जी लोढ़ा पत्नी नरेश चन्द्र जी जैन, निवासी नान्देशमा, जिला उदयपुर (राज.)

2. लक्ष्मीलाल पिता कस्तुरचन्द जी महाजन, निवासी मजाम, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. देवा पिता मोती जी उठड़ राजपूत, निवासी मजाम, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. मृतक उदा पिता भीमा जी गायरी के बजाय :–

4/1. खेमा गोद पुत्र स्वर्गीय उदा जी गोद पुत्र

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा दिनांक
23–06–2014 प्रकरण सं. 150/10

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री सुशील कोठारी अभिभाषक रेस्पो.सं. 3

———:::———

निर्णय दिनांक 23–10–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17–04–1979 को हाल अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी श्री गेगा ने रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। दौराने वाद कार्यवाही वादी गेगा की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिसान द्वारा आदेश 22 नियम 3, 9 व आदेश 22 नियम 4, 9 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गेगा जी का स्वर्गवास हो गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 नन्दलाल का भी स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थीगण अनपढ़ होने से वह समय पर मृतक के वारिसान का आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण में हुए उपशमन को निरस्त कर मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाया जावे।

विपक्षीगण/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक वादी के मृत्यु की तारीख अंकित नहीं की गयी है तथा वादी एवं प्रतिवादी की नामकामयी हेतु अबेटमेन्ट निरस्त कराये जाने हेतु अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। अतः आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 23–06–2014 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–06–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर उनकी ओर से वकील श्री सुशील कोठारी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उक्त प्रकरण की कार्यवाही नन्दलाल द्वारा एस.बी. पिटीशन संख्या 4593/1996 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 27–09–2012 को हुआ एवं उसके पूर्व दिनांक 05–09–2010 को नन्दलाल की मृत्यु हो गयी ऐसी स्थिति में नन्दलाल की ओर से जो राजस्थान उच्च न्यायालय में पैरवी की गयी एवं उसकी नामकायमी राजस्थान उच्च न्यायालय में होनी चाहिए थी एवं रिट राजस्थान उच्च न्यायालय में खारिज होनी चाहिए थी, किन्तु रिट खारिज नहीं हुई एवं गेगा जी की मृत्यु भी लगभग 8 वर्ष पूर्व हो चुकी है। उक्त प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था तथा उदा की भी मृत्यु हो चुकी थी तो तीनों व्यक्तियों की नामकायमी राजस्थान उच्च न्यायालय ही होनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण द्वारा आवेदन काफी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनका जो आवेदन खारिज किया गया है वह विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय में यह सुस्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आदेशिका दिनांक 30–09–2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक का वादी के प्रतिनिधि व उनके पिता उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रकरण की जानकारी नहीं होने का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की दिनांक तो अंकित की है, किन्तु वादी जो स्वयं उनके पिता हैं की दिनांक अंकित नहीं की है न ही प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु कब हई बताया है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थीण स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया है जो विधि सम्मत है, क्योंकि देरी के मामले में अपीलान्टगण द्वारा देरी के कारणों को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है एवं जिस पक्षकारान की नामकायमी कराना चाहते हैं उनकी मृत्यु की कब हुई इसका भी स्पष्ट रूप से अंकन किया जाना आवश्यक है, जो अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा नहीं किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनका आवेदन खारिज किया है, जिसे हम विधि सम्मत पाते हैं एवं उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–06–2014 अपास्त किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–10–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** .....

राजस्थान राज्य जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, सायरा, जिला उदयपुर बनाम **चम्पालाल पिता भैरूलाल कलाल निवासी सायरा, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**45 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गोगुन्दा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....19**.....माह.....**06**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**....माह.....**04**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री पुरूषोत्तम पुरी.....**मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कुन्दनसिंह सोनी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–06–2015 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**04**.....**2019** को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।